

GOVT. OF BIHAR
BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD
I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING
(UGMAC)-2019 for MBBS / BDS / B.V.Sc. & A.H. in Govt. Medical / Dental / Bihar
Veterinary Colleges and Private Medical / Dental Colleges of Bihar
Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2019/11 Dated 15.07.2019

आवश्यक सूचना

UGMAC-2019 के आधार पर नामांकन हेतु सभी संस्थानों का Fee Structure पर्षद के Website:www.bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। चूँकि दिनांक 13.07.2019 एवं 14.07.2019 को बैंक बंद है, अतः अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का सीट आवंटन जिस संस्थान में हुआ है, उनमें से सरकारी संस्थानों के लिए नामांकन की निर्धारित राशि Online / नगद भी जमा कर सकते हैं। निजी संस्थानों के लिए निम्न व्यवस्था की गयी है;

1. वैसे अभ्यर्थी जिनका सीट आवंटन निजी मेडिकल संस्थान में हुआ है और वे Upgrade का Option नहीं दिया है तथा नामांकन लेना चाहते हैं, वे उस संस्थान के लिए निर्धारित Fee की राशि का बैंक ड्राफ्ट संस्थान के Fee Structure में अंकित सूचना अनुसार संस्थान के नाम से बनवा कर जमा करेंगे अन्यथा उनका नामांकन रद्द हो जायेगा और वे अगले Round की Counselling के लिए eligible नहीं होंगे।

2. वैसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटन हुआ है और उन्होंने Upgradation का Option दिया है, तो वे Controller of Examination, BCECE Board, Payable at Patna के नाम से 1100000/- (ग्यारह लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करेंगे। द्वितीय Round के Upgradation उपरांत आवंटित संस्थान में या Upgradation नहीं होने की स्थिति में आवंटित संस्थान में उन्हें नामांकन लेना होगा, अन्यथा जमा की गयी राशि में से 200000/- (दो लाख) रुपये की राशि नियमानुसार जब्त कर शेष राशि अभ्यर्थी को नामांकन प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत दस दिनों के अंदर लौटा दिया जायेगा। यदि वे नामांकन लेते हैं तो उक्त राशि सम्बन्धित संस्थान को स्थानांतरित कर दिया जायेगा। निर्धारित शुल्क में अंतर आने पर शेष बची राशि संस्थान अभ्यर्थी को लौटायेगी या कम होने पर अभ्यर्थी शेष राशि संस्थान को जमा करेंगे।

3. निजी Dental संस्थानों के लिए यह राशि 500000/- (पांच लाख) रुपये होगी और नामांकन नहीं लेने पर पर्षद 50000/- (पचास हजार) रुपये की राशि जब्त कर शेष राशि अभ्यर्थी को नामांकन प्रक्रिया के समाप्ति के 10 दिनों के अंदर लौटा देगी।

4. यदि किसी अभ्यर्थी को 1st Round में किसी भी सरकारी / निजी संस्थान में सीट आवंटन होता है और वे Document Verification / नामांकन की निर्धारित अवधि में Report नहीं करते हैं, अर्थात् Document Verification नहीं कराते हैं तो वे आगे के Round के लिए ineligible हो जायेंगे, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

परीक्षा नियंत्रक